न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील/डिक्री/टीए/3361/2006/बारां

(2) अपील/टीए/4931/2006/बारां

1– खेमराज बेवा बिशनलाल

2– संतोषबाई पुत्री बिशनलाल

3– कैलाशचंद पुत्र बिशनलाल

जाति कलाल निवासी बड़वा तहसील अन्ता,

जिला बारां।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– रतनबाई बेवा बिशनलाल

2– सुमित्राबाई पुत्री बिशनलाल

3– सत्यनारायण पुत्र बिशनलाल मृतक जरिये विधिक वारिसानः–

3/1 मु0 ममता पत्नि सत्यनारायण

3/2 अभिषेक पुत्र सत्यनारायण

3/3 चिराग पुत्र सत्यनारायण

समस्त जाति कलाल निवासी चन्द्रप्रकाश जी मेवाड़ा का मकान जगदीश होटल के पास मेडिकल मार्केट लाडपुरा जिला कोटा।

4– मन्जूबाई पुत्री बिशनलाल

5– चेतनप्रकाश पुत्र बिशनलाल

6– सुनीता पुत्री बिशनलाल

जाति कलाल निवासी बड़वा तहसील अन्ता,

जिला बारां।

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री नकुल शर्मा, शिव प्रकाश चौधरी, अधिवक्तागण अप्रार्थीगण।
श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रस्तुतकर्ता।

––

निर्णय

दिनांकः07–01–2021

ये दो द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं0 336/2002 व 119/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 27–04–2006 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2– दोनों द्वितीय अपीलों के तथ्य, पक्षकार व विवाद बिन्दू समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावें।

3– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक दावा अधिनियम की धारा 88 व 188 का विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के सहायक कलक्टर, अन्ता जिला बारां के न्यायालय में पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 26–03–2002 के द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किया। तत्पश्चात् निर्णय दिनांक 13–05–2002 द्वारा वाद को अंतिम डिक्री किया। प्राथमिक डिक्री दिनांक 26–03–2002 व अंतिम डिक्री दिनांक 13–05–2002 के विरूद्ध पृथक पृथक अपीले भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा कैम्प बारां के न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ अपील

न्यायालय ने दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 27–04–2006 द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलों को आब्जरवेशन के साथ प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर ये दो द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4– सर्वप्रथम हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुनी। चूँकि प्रत्यर्थी सं0 3 सत्यनारायण पुत्र बिशनलाल का स्वर्गवास दिनांक 12–11–2019 को हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र दिनांक 10–12–19 को स्वीकार कर उसके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिया जाता है।

5– तत्पश्चात् हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 बाबत् पक्षकार बनाए जाने पर सुनी। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में श्री विकास पाराशर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 इन्हीं पक्षकार को पक्षकार बनाए जानें बाबत् दिनांक 20–06–2012 को पेश किया गया था, जिसे मण्डल की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 16–12–13 द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए इस आधार पर खारिज किया कि क्रेता को वो ही अधिकार प्राप्त होंगे, जो उक्त अपील में विक्रेता को प्राप्त होंगे। अब उन्हीं पक्षकार द्वारा पुनः प्रा0 पत्र बाबत् पक्षकार बनाए जाने हेतु पेश किया गया है, अतः हम इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 खारिज किया जाता है।

6– तत्पश्चात् हमने द्वितीय अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी।

7– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई थी किन्तु अधीनस्थ अपील न्यायालय ने बिना किसी समुचित कारण के अपील को अन्दर मियाद मानते हुए पुनः सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया,

जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विपक्षीगण को विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी थी व स्वंय अपीलार्थी ने भी उन्हें इसकी जानकारी दे दी थी। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण उपस्थित हुए थे व उन्होंने जवाबदावा भी पेश किया था इसके बावजूद भी उन्होंने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध लगभग 1 वर्ष 21 दिन पश्चात् अपील पेश की व अपील मियाद बाहर पेश करने का कोई समुचित कारण भी नहीं दिया। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर स्पष्ट निर्णय पारित नहीं किया। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि सुमित्राबाई का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है किन्तु विपक्षी नाजायज तौर पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित न्यायोचित निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाकर पुनः निर्णय पारित करवाना चाहते है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31,24 व 25 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की अनदेखी कर केस को पुनः सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय अविधिक है, अतः द्वितीय अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावें।

8– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि बिशनलाल की दो पत्नियाँ क्रमशः पाना बाई एवं रतन बाई थी, जिसमें प्रथम पत्नि से खेमराज, संतोषबाई एवं कैलाश तीन संताने हुई एवं रतनबाई के सुमित्रा, सत्यनारायण, मंजूबाई, चेतनप्रकाश एवं सुनीता कुल 5 संतान थी। सहायक कलक्टर ने दिनांक 26–03–2002 को विचाराधीन वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए प्रतिवादिनी सं0 2 सुमित्रा बाई का नाम खाते से डिलीट कर दिया एवं कैलाश को खाततेदार माना जबकि कैलाश जो गोद चला गया था, उसका नाम डिलीट किया जाना चाहिए था। उनका यह भी तर्क था कि पक्षकारान के मध्य कृषि भूमि का विवाद सिविल न्यायालय में तथा मकान का

विवाद दीवानी न्यायालय में चला था। ए0डी0जे0 बारां ने प्रकरण सं0 63/2002 में अपना निर्णय दिनांक 30–05–2003 पारित किया, जिसमें माना कि रतनबाई और बिशनलाल की सुमित्रा वैध संतान है, अतः उसे मकान में हिस्सा दिया जाएगा एवं चूँकि कैलाश गोद चला गया, इसलिए उसे हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उनका तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपील देरी से पेश किए जाने के संबंध में पर्याप्त व समुचित कारण अंकित किए थे व अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त कारणों को संतोषजनक पाते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण था। इसलिए अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपील को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः द्वितीय अपीलें खारिज की जावें।

9– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

10– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई थी किन्तु अधीनस्थ अपील न्यायालय ने बिना किसी समुचित कारण के अपील को अन्दर मियाद मानते हुए पुनः सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने ए0आई0आर0 1987 एस0सी0 पेज 1353 पर प्रतिपादित सिद्धांत से सहमत होते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है।

11– अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री 26–03–2002 को पारित की गई, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 05–06–2002 को पेश की गई, जो उनके समक्ष विचाराधीन थी, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय सहायक

कलक्टर, अन्ता को अंतिम डिक्री पारित नहीं करनी चाहिए थी। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में तथ्यों एवं विधिक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए साक्ष्य व समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं धारा 53 का विवाद होने से राज्य सरकार के पक्ष को भी सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, अन्ता को प्रतिप्रेषित किया है। हमारी राय में अधीनस्थ अपील न्यायालय के उक्त निष्कर्ष उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

12– उक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप ये दोनों द्वितीय अपीलें खारिज की जाती है तथा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–06–2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य